This is a digitally signed gazette, to verify click here.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 24 जनवरी, 2011 / 4 माघ, 1932

हिमाचल प्रदेश सरकार

आयुर्वेद विभाग

अधिसूचना

शिमला—2, 17 जनवरी, 2011

संख्या आयु0—क—(3)—3 / 99.——हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश आयुर्वेद विभाग में आमची (तिब्बतियन चिकित्सक), वर्ग—I (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध—'क' के अनुसार, भर्ती और प्रोन्नति नियम, बनाती हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.——(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश आयुर्वेद विभाग, आमची (तिब्बतियन चिकित्सक), वर्ग—I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2010 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. निरसन औरैर व्यावृत्तियां.——(1) इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 19—04—2000 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग में आमची (तिब्बतियन चिकित्सक) वर्ग—I (राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2000 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित सुसगंत नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
प्रधान सचिव (आयुर्वेद)।

————————

उपाबन्ध–''क''

हिमाचल प्रदेश आयुर्वेद विभाग में आमची (तिब्बतियन चिकित्सक) वर्ग–I (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम ।

1. **पद का नाम** : आमची (तिब्बतियन चिकित्सक)

2. **पदों की संख्यां** : 04 (चार)

3. **वर्गीकरण** : वर्ग–I (राजपत्रित)

4. **वेतनमान** : **(i)** **नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान** : 10,300–34,800 रुपए जमा 5,000 रुपए (ग्रेड पे)

   (ii) **संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां** : स्तम्भ संख्या 15–क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार 15,300 / – रुपए।

5. **चयन पद अथवा अचयन पद** : चयन।

6. **सीधी भर्ती के लिए आयु** : 45 वर्ष और इससे कम :

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो तो, वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों / अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह आरै भी कि पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों / स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों में तथा स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी, जो पश्चातवर्ती ऐसे निगमों / स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे / किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर, निगमों / स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् निगमों / स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं / किए गए थे।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यार्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.——(I) अनिवार्य अर्हताएं : (i) केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से विज्ञान विषय के साथ दस जमा दो या इसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(ii) तिब्बतियन मैडिकल एण्ड अस्ट्रोलोजिकल इन्सटीच्यूट आफ हिज हाइनेन्स दी दलाईलामा धर्मशाला से, या विधि द्वारा स्थापित किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या केन्द्रीय/राज्य सरकार/भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय परिषद् द्वारा सम्यक रूप से मान्यता प्राप्त संस्थान से का–चू–पा में पांच वर्ष की मान्यता प्राप्त उपाधि।

(iii) तिब्बतियन मैडिकल एण्ड अस्ट्रोलोजिकल इन्सटीच्यूट आफ हिज हाइनेन्स दी दलाईलामा धर्मशाला या केन्द्रीय/राज्य सरकार/भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय परिषद् द्वारा सम्यक रूप से मान्यता प्राप्त संस्थान से एक वर्ष की अनिवार्य इन्टरनशिप।

(II) वांछनीय अर्हता.——हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों ओर बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं.——लागू नहीं।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.——दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।

10. भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता.——शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा यथास्थिति नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ 15–क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे और उक्त स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवा शर्तो द्वारा विनियमित होंगे।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां जिनसें प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा.——लागू नहीं।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति, विद्यमान हो तो उसकी संरचना : लागू नहीं।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा : जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.——किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.——सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के

आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम इत्यादि यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15.(क) संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.——इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएगीः–

(I) संकल्पना.——(क) इस पॉलिसी के अधीन आयुर्वेद विभाग में आमची (तिब्बतियन चिकित्सक) को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में, एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगाः

परन्तु संविधा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर नवीनीकरण/विस्तारण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा अवधि की नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) पदों का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना.——प्रधान सचिव (आयुर्वेद)/सचिव (आयुर्वेद) रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, अध्यापेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां.——संविदा के आधार पर नियुक्त आमची (तिब्बतियन चिकित्सक) को 15,300/– रुपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे–वैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चात्वर्ती वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 460/– रुपए की रकम (पद के पे–वैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.——प्रधान सचिव (आयुर्वेदा)/सचिव (आयुर्वेद) हिमाचल प्रदेश सरकार नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा ।

(IV) चयन प्रक्रिया.——संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठयक्रम इत्यादि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समित.——जैसी सक्षम प्राधिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।

(VI) करार.——अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से सलंग्न उपाबन्ध–ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें.——(क) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को 15,300/– रुपए की नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संदिात्मक रकम में 460/– रुपए की रकम (पद के पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान और व्यवसाय निषेध भत्ता आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगा/होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जायेगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनाधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा की पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (डयूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

(ड.) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित आमची (तिब्बतियन चिकित्सक) को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध, जैसे एफ.आर.एस.आर, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेन्शन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों की दशा में लागू नही होंगे। वे इस स्तम्भ में यथा वर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।

16. आरक्षण.––सेवा में नियुक्ति हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन–जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बावत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी ।

17. विभागीय परीक्षा.––सेवा में प्रत्येक सदस्य को, समय–समय पर यथा संशोधित विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी ।

18. शिथिल करने की शक्ति.––जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा इन नियमों के किन्ही उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत, शिथिल कर सकेगी ।

उपाबन्ध–ख

आमची (तिब्बतियन चिकित्सक) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य प्रधान सचिव/सचिव (आयुर्वेद) हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्रारूप ।

यह करार श्री/श्रीमती ....पुत्र पुत्री श्री .... निवासी..., संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''प्रथम पक्षकार'' कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, के मध्य प्रधान सचिव/सचिव आयुर्वेद, हिमाचल प्रदेश सरकार (जिसे इसमें इसक` पश्चात् ''द्वितीय पक्षकार'' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख................... को किया गया ।

''द्वितीय पक्षकार'' ने उपरोक्त ''प्रथम पक्षकार'' को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने आमची (तिब्बतियन चिकित्सक) के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:——

1. यह कि प्रथम पक्षकार आमची (तिब्बतियन चिकित्सक) के रूप में..............................से प्रारम्भ होने और .... को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस को अर्थात्.......दिन को सवयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी आरै सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :

परन्तु संविदा की अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर नवीकरण / विस्तारण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा तथा आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि का नवीकृत / विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार की संविदा रकम .... रुपए प्रति मास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतय अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य / आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त / तैनात कर दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदात्मक आमची (तिब्बतियन चिकित्सक) एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदात्मक आमची (तिब्बतियन चिकित्सक) को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा। केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदात्मक आमची (तिब्बतियन चिकित्सक) कर्त्तव्य (डियूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

7. चयनित अभ्यर्थी को दीनदयाल उपाध्याय (रिपन) क्षेत्रीय अस्पताल, शिमला से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था, प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का दीनदयाल उपाध्याय (रिपन) क्षेत्रीय अस्पताल, शिमला से उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्म्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी अधिकारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ—साथ ई0पी0एफ0 / जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

10. किसी भी प्रकार की प्राईवेट प्रैक्टिस प्रतिषिद्ध है।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।

साक्षियों की उपस्थिति में

1...
नाम ....
पता ....
....
2...
नाम ....
पता ....
....

प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर

साक्षियों की उपस्थिति में

1...
नाम ....
पता ....
....
2...
नाम ....
पता ....
....

द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर

————————

[Authoritative English Text of this Department's Notification No. No. Ayu-Ka (3)-3/99 dated 17th January 2011 as required under clause (3) of Article 309 of the Constitution of India].

AYURVEDA DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002*, the* 17*th January,* 2011

No. Ayu-Ka (3)-3/99.— In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 to the Constitution of India the Governor of Himachal Pradesh in consultation with HP Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Amchi (Tibetan Chikitsak) Class-I (Gazetted) in the Department of Ayurveda, Himachal Pradesh, as per Annexure-A attached to this notification, namely:—

1. Short title & Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Department of Ayurveda, Amchi (Tibetan Chikitsak), Class-I (Gazetted) Recruitment & Promotion Rules, 2010.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in official Gazette.

2. Repeal & Savings.—(1) The Himachal Pradesh Department of Indian System of Medicine & Homeopathy, Amchi (Tibetan Chikitsak) Class-I (Gazetted) Recruitment & Promotion

Rules, 2000 notified *vide* this Department's Notification of even No. dated 19.4.2000 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the relevant rules so repealed under sub rule (1) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.

By order,
Sd/-
Principal Secretary (Ayurveda).

ANNEXURE-A

RECRUITMENT & PROMOTION RULES OF THE POST OF AMCHI (TIBETAN CHIKITSAK) {CLASS-I GAZETTED} IN THE DEPARTMENT OF AYURVEDA HIMACHAL PRADESH

1. **Name of Post :** Amchi (Tibetan Chikisak)

2. **Number of post(s) :** 04 (Four)

3. **Classification :** Class-I (Gazetted)

4. **Scale of pay : (i) Pay Scale for regular incumbents :** Rs. 10,300—34,800 plus Rs. 5000/- (Grade pay).

   (ii) Emoluments for contract employees : "Rs. 15,300/- as per details given in Column 15-A"

5. **Whether selection post or non selection post :** Selection.

6. **Age for direct recruitment :** 45 years and below.

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on *adhoc* or on contract basis;

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become overage on the date when he/she was appointed as such he/she shall be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his/her adhoc or contract appointment;

Provided further that the upper age limit is relaxable for scheduled caste/scheduled Tribes/other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;

Provided further that the employees of all the Public Sector Undertakings and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Undertakings/ autonomous bodies at the time of initial constitutions of such Undertakings/autonomous bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government Servants. This concession will not, however be admissible to such staff of the Public Sector Undertakings/ autonomous bodies who were/are subsequently appointed by such Undertakings/autonomous

bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Undertakings/autonomous bodies after initial constitution of the Public Sector Undertakings/Autonomous Bodies.

1. Age limit for direct recruitment shall be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchange as the case may be.

2. Age and experience in the case of direct recruitment, relaxable at the discretion of Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum Educational & other Qualifications required for direct recruits.—

(I) ESSENTIAL QUALIFICATION(S).—(i) 10+2 examination with science or its equivalent examination from Board/University recognized by the Central/State Government.

(ii) Five years recognized degree in KA-CHU-PA from Tibetan Medical and Astrological Institute of his Highness the Dalai Lama, Dharamshala or any other recognized University established by Law or Institute duly recognized by the Central/ State Government/Central Council of Indian Medicine.

(iii) One year compulsory internship from Tibetan Medical and Astrological Institute of his Highness the Dalai Lama, Dharamshala or Institute duly recognized by the Central/State Government/Central Council of Indian Medicine.

(II) DESIRABLE QUALIFICATION.—Knowledge of customs/ manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the Promotees.—Not Applicable.

9. Period of probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method(s) of recruitment whether by direct recruitment or by promotion deputation, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by direct recruitment on regular basis or by direct recruitment on contract basis as the case may be. The contract employees will get emoluments as given in Col. 15-A and will be governed by service conditions as specified in the said column.

11. In case of recruitment by promotion, deputation transfer grade from which promotion/ deputation transfer is to be made.—Not applicable.

12. If a Departmental promotion committee exits, what is its composition.— Not applicable.

13. Circumstances under which the HPPSC is to be consulted in making recruitment.—As required under the law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, so considered necessary or expedient by a written test, or practical test, the standard/syllabus, etc. of which will be determined by the commission OR other recruiting authority, as the case may be.

15(A) Selection for appointment to the post by contract recruitment.—Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy, Amchi (Tibetan Chikitsak) in the Department of Ayurveda will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis.

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

(b) Posts falling within the purview of HPPSC.—The Principal Secretary (Ayurveda)/Secretary (Ayurveda) after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency *i.e.* H.P. Public Service Commission.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Amchi (Tibetan Chikitsak) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 15,300/-(fixed) per month (which shall be equal to minimum of Pay Band + Grade Pay). An amount of Rs. 460/- (3% of the minimum of Pay Band + Grade Pay) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTMENT/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Principal Secretary (Ayurveda)/Secretary (Ayurveda) to the Government of Himachal Pradesh will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of *viva-voce* test, or if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard/ syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency *i.e.* the H.P. Public Service Commission.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.—"As may be constituted by the competent authority *i.e.* HPPSC from time to time."

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contract appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs. 15,300/- (fixed) per month (which shall be equal to minimum of Pay

Band + Grade Pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 460/-). (3% of the minimum of Pay Band + Grade Pay) for further extended years and no other allied benefits such asseniority/selection scales and NPA etc. will be given.

(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract Appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/She shall not beentitled for Medical Reimbursement and LTC etc. only maternity leave will be given as per rules.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(e) An official appointed on contract basis who has completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government authorized/registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from Government authorized/registered Medical Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled for TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular Amchi (Tibetan Chikitsak) at the minimum of the Pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR, SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments as detailed in this column.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for scheduled caste/scheduled tribes/Other Backward classes/other categories of persons issued by H.P. Government from time to time.

17. Departmental examination.—Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the Departmental Examination Rules, 1997 as amended from time to time.

18. Powers to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P. Public Service Commission, relax any of the Provision(s) of these Rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

ANNEXURE-B

FORM OF CONTRACT/AGREEMENT TO BE EXECUTED BETWEEN THE AMCHI (TIBETAN CHIKITSAK) AND THE GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH THROUGH PRINCIPAL SECRETARY/SECRETARY (AYURVEDA) TO THE GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH.

This agreement is made on this________ day of _________in the year__________between Sh/Smt. ____________________________ son/daughter of Shri______________________________ R/o____
____ contract appointee (here-in-after called the FIRST PARTY), AND the Governor, Himachal Pradesh through Principal Secretary/Secretary (Ayurveda) to the Govt. of Himachal Pradesh (here-in-after the SECOND PARTY). Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and FIRST PARTY has agreed to serve as a Amchi (Tibetan Chikitsak) on contract basis on the following terms and conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as an Amchi (Tibetan Chikitsak) for a period of one year commencing on the _________ day of ___________ and ending on ___________ day of __________________. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with the SECOND PARTY shall ipso facto stand terminated on the last working day i.e. on ___________ and information notice shall not be necessary.

Provided that for-further extension/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs.__________ per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. Contractual Amchi (Tibetan Chikitsak) will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any kind is admissible to the contractual Amchi (Tibetan Chikitsak). He will not be entitled for any kind of Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per rules.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Amchi (Tibetan Chikitsak) will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

6. An official appointed on contract basis who has completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from DDU Zonal (RIPON) Hospital, Shimla. In case of women candidates pregnant beyond 12 weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The woman candidate should be re-examined for fitness from DDU Zonal (RIPON) Hospital, Shimla.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rates as applicable to regular counterpart officer at the minimum of the pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee(s).

10. Private practice of any kind, whatsoever is prohibited.

IN WITNESS the FIRST PARTY and SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. ____________________
Name________________
Address_______________
____

2. ____________________
Name ________________
Address________________
____

(Signature of the FIRST PARTY)

IN THE PRESENCE OF WITNESS.

1. ____________________
Name________________
Address_______________
____

2. ____________________
Name________________
Address_______________
____

Signature of the SECOND PARTY)

————

HIGH COURT OF HIAMCHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 20*th January*, 2011

No. HHC/Admn. 3 (150)80-I.—12 days earned leave *w.e.f.* 31.01.2011 to 11.02.2011 with permission to prefix second Saturday, Sunday and Special Casual leave from 08.01.2011 to 30.01.2011 and suffix second Saturday and Sunday falling on 12th and 13th February, 2011 is hereby sanctioned in favour of Ms. Kamla, Court Master of this Registry.

Certified that Ms. Kamla is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Ms. Kamla would have continued to officiate the same post of Court Master but for her proceeding on leave.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIAMCHAL PRADESH, SHIMLA - 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 20*th January,* 2011

No.HHC/Admn.3(336)/92-I.—12 days earned leave w.e.f. 17.01.2011 to 28.1.2011 with permission to prefix Sunday falling on 16.01.2011 is hereby sanctioned in favour of Shri Prem Chand Verma, Secretary of this Registry.

Certified that Shri Prem Chand Verma is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Prem Chand Verma would have continued to officiate the same post of Secretary but for his proceeding on leave.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 20*th January,* 2011

No.HHC/GAZ/14-71/76-III.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 6 days' earned leave w.e.f. 14.2.2011 to 19.2.2011 with permission to prefix Special casual leave w.e.f. 20.1.2011 to 11.2.2011 (12th and 13th February, 2011 being second Saturday and Sunday) and to suffix Sunday falling on 20.2.2011 in favour of Shri Shamsher Singh, District & Sessions Judge, Shimla, H.P.

Certified that Shri Shamsher Singh is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Shamsher Singh would have continued to hold the post of District & Sessions Judge, Shimla, H.P. but for his proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 20*th January*, 2011

No.HHC/Admn.6(23)/74-Part.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2(32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009, has been pleased to declare the Civil Judge (Sr. Division)-*cum*-CJM, Kangra at Dharamshala as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Civil Judge (Jr. Division)-*cum*-JMIC(I) and Civil Judge (Jr. Division)-*cum*-JMIC(II), Dharamshala and also the Controlling Officer for the purpose of T.A. etc. in respect of the establishments attached to the aforesaid Courts under Head "2014 – Administration of Justice" *w.e.f.* 31.1.2011 to 13.2.2011 or till Sh. Vikrant Kaundal returns from special casual leave.

By order,
Sd/-
Registrar General.

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 24 जनवरी, 2011

संख्या ई0एक्स0एन0–एफ(10)2/2010–लूज.—–हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम संख्यांक 9) की धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची–2 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात :–

संशोधन

1. पूर्वोक्त अधिनियम की अनुसूची–2 में, विद्यमान मद संख्या 9 (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

क्रम संख्या	माल	कर की दर
9	(ख) अलौह धातु और मिश्रधातुएं तथा उनके स्क्रैप	आधा प्रतिशत

2. विद्यमान मद संख्या 13 के पश्चात् निम्नलिखित नई मदें अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

क्रम संख्या	माल	कर की दर
''14	(क) प्रविष्टि संख्या 9 (ख) पर वर्णित माल से अन्यथा, उपभोग, संविदा विनिर्माण, प्रसंस्करण, संपरिवर्तन, फुटकर काम, संयोजन या विक्रय सहित विनिर्माण में उपयोग के लिए राज्य के बाहर से लाए जा रहे, इस अनुसूची में वर्णित माल सहित किन्तु फार्मासियुटिकल इकाईयों द्वारा राज्य के बाहर से लाए जा रहे ईंधन और उपभोज्य, बड़ी मात्रा में दवाईयां, कच्ची सामग्री तथा पैकिंग सामग्री को अपवर्जित करके समस्त औद्योगिक निवेश (इनपुट), कच्ची सामग्री और पैकिंग सामग्री;	दो प्रतिशत

	(ख) फार्मासियुटिकल इकाईयों द्वारा, उपभोग, संविदा विनिर्माण, प्रसंस्करण, संपरिवर्तन फुटकर काम, संयोजन सहित विनिर्माण में उपभोग या ईन्धन और उपभोज्य के सिवाय, विक्रय के लिए, राज्य के बाहर से लाई जा रही बड़ी मात्रा में दवाईयां, कच्ची सामग्री और पैकिंग सामग्री सहित समस्त औद्योगिक निवेश (इनपुट)।'' ।	एक प्रतिशत

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

————————

[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-2/2010-Loose, dated 24th January,2011 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, *the 24th January, 2011*

No. EXN- F(10)-2/2010-Loose.—The Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in her under sub-section (5) of Section 3 of the Himachal Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Area Act, 2010 (Act No. 9 of 2010) is pleased to make following amendments in Schedule-II appended to the said Act, namely:—

AMENDMENTS

1. In Schedule-II of the aforesaid Act, the exsting item No. 9(b) shall be substituted by the following; namely:—

Sr. No.	**Goods**	**Rate of Tax**
9	(b) Non-Ferrous Metal & Alloys including scrap thereof.	1/2%

2. After existing item No. 13, the following new items shall be inserted namely:—

Sr. No.	**Goods**	**Rate of Tax**
14	(a) All Industrial Inputs, raw material and packing material including goods mentioned in this Schedule other than goods mentioned at entry No. 9-b, being brought from outside the State for consumption, use in manufacturing including contract manufacturing, processing, conversion, job-work, assembling or for sale but excluding fuels and consumables, bulk drugs, raw material and packing material being brought from outside the State by pharmaceutical units. (b) All Industrial Inputs including bulk drugs, raw material and packing material being brought from outside the State by pharmaceutical units for consumption, use in manufacturing including contract manufacturing, processing, conversion, job-work, assembling or for sale except fuels and consumables.	2% 1%

By order,
Sd/-
Principal Secretary (E&T).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित